



2026:AHC:52069

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3557 वर्ष 2026

राजेश शर्मायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिनेश सिंह यादव, रोहित नंदन पांडेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित नंदन पांडेय और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2010 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज, जनपद एटा में कार्यरत है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अलीगढ़ में कार्यरत एक अन्य डॉक्टर शिव कुमार, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं, वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एटा के चिकित्सा अधीक्षक का प्रभार संभाल रहे हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके पश्चात 13.02.2026 को अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मंडल द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा को एक पत्र जारी कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अलीगंज, एटा के चिकित्सा अधीक्षक का प्रभार सौंपने को कहा गया था। हालांकि, 13.02.2026 के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को अभी तक प्रभार नहीं सौंपा गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को **निस्तारित** किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या-3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या-3 उक्त प्रतिवेदन पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से विचार करेंगे और याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।